

प्रेषक,

चन्द्रशेखर सिंह,  
सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,  
सिंचाई सृजन,  
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/ सिवान/सहरसा/दरभंगा/  
गया/बिहारशरीफ/औरंगाबाद/डिहरी/भागलपुर ।

विषय:- खरीफ सिंचाई अनुदेश 2026

पटना, दिनांक- 1-6-2026

महाशय,

खरीफ सिंचाई अभियान 2026 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से जल प्रबंधन कर खरीफ सिंचाई में वृद्धि हेतु समुचित उपयोग करना आवश्यक है।

1. इस वर्ष विभाग की वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 23.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ सिंचाई 2026 के लिए मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है। खरीफ सिंचाई के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं:-

- (i) नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर्विभागीय समन्वय द्वारा खरीफ सिंचाई 2026 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरूप सिंचाई एवं सूदकार हो सके।
- (ii) सभी नहर प्रणालियों में जलश्राव की अध्याचना Indent & Discharge Portal पर की जायेगी।
- (iii) खरीफ सिंचाई 2026 के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहिक शुक्रेवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को प्राप्त हो जाय।
- (iv) खरीफ सिंचाई 2026 के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/जिलावार वितरित करेंगे तथा इसकी सूचना विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी एवं कृषि पदाधिकारी को भी देंगे।
- (v) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक-सि०को०-01/2001 पार्ट IV-239 दिनांक-28.06.2024 के द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण

समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेंगे। जहाँ तातील प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी की शिकायतें हैं, वहाँ विशेष ध्यान देंगे तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातील प्रथा लागू कर पानी छोड़ने की व्यवस्था करेंगे।

(vi) नहर संचालन प्रारंभ होने के 07 दिनों के अंदर नहरों के अंतिम छोर तक का शत प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक चरणबद्ध तरीके से करते हुए नहर संचालन के संबंध में ग्रामीणों से समन्वय स्थापित कर दृष्टिगत बाधाओं को समीक्षोपरान्त दूर कराना सुनिश्चित करेंगे। तदोपरान्त खरीफ सिंचाई अवधि में कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण करेंगे ताकि नहरों के अंतिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का सामना न करना पड़े। अतः सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।

(vii) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उपवितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रबोधन करेंगे एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

(viii) शीर्ष/त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी। जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेंगे तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद को उपलब्ध करायेंगे।


(ix) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा तथा अवर प्रमंडल के पास ग्रामीण नक्शे पर अंकित कमांड मैप होना चाहिये। कनीय अभियंता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेंगे तथा इसका भी लेखा रखेंगे कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई। सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेंगे तथा सुझाव के साथ प्रस्ताव देंगे।

(x) उपलब्ध पानी के कमी की स्थिति में, इसके सही एवं समानुपातिक वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेंगे।

(2) खरीफ सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्तव्य है। प्रत्येक पदाधिकारी, जो सिंचाई कार्य में संलग्न है, का प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/सूदकार हो। जिनके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सूदकार होगा वे प्रशस्ति के योग्य समझे जायेंगे तथा जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से कम उपलब्धि/सूदकार होगा उनकी चारित्र्य में प्रतिकूल अभियुक्ति दर्ज की जायेगी।

अनु०- खरीफ सिंचाई लक्ष्य 2026

विश्वासभाजन

  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
सचिव

ज्ञापांक:- सिं०को०-118/06-पार्ट VI-241

पटना, दिनांक:- 1-6-2026

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु०:- खरीफ सिंचाई लक्ष्य-2026

  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
सचिव

ज्ञापांक- सिं०को०-118/06-पार्ट VI-241

पटना, दिनांक- 1-6-2026


प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(चन्द्रशेखर सिंह)  
सचिव

ज्ञापांक-सिं०को०-118/06-पार्ट-VI-253

पटना, दिनांक-02/06/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को वेब-साईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजने हेतु प्रेषित।

  
(पूर्णन्दु कुमार)  
अधीक्षण अभियंता

सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**खरीफ सिंचाई 2026 का निर्धारित लक्ष्य**

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी०सी०ए०	विकसित सी०सी०ए०	विगत वर्ष 2025 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2025 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2026 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (विकसित सी०सी०ए० के विरुद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	441075	423305	336407	328362	341371	344745	81.44	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	62950	62950	51181	51282	50727	51489	81.79	
	मध्यम सिंचाई योजना	85664	71615	65517	65537	68775	68803	96.07	
	<b>कुल</b>	<b>589689</b>	<b>557870</b>	<b>453105</b>	<b>445181</b>	<b>460873</b>	<b>465037</b>	<b>83.36</b>	
नालंदा (बिहारशरीफ)	मध्यम सिंचाई योजना	180313	164976	164740	164059	170475	170649	<b>103.44</b>	Kailashgati Irr. Sch. Is included in C.E. Zone Bhagalpur
गया	मध्यम सिंचाई योजना	85860	70440	65568	62940	65668	65668	93.23	Distribution System for total CCA not developed
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	22022	6315	4370	4370	4810	4810	76.17	
	<b>कुल</b>	<b>107882</b>	<b>76755</b>	<b>69938</b>	<b>67310</b>	<b>70478</b>	<b>70478</b>	<b>91.82</b>	
औरंगाबाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	123000	71920	57473	55393	57473	57473	79.91	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54228	54228	47355	47355	47355	47355	87.33	
	पटना मुख्य नहर	118925	118925	114732	114732	114732	114732	96.47	
	मध्यम सिंचाई योजना	24060	16050	11829	9229	11829	11829	73.70	
	<b>कुल</b>	<b>320213</b>	<b>261123</b>	<b>231389</b>	<b>226709</b>	<b>231389</b>	<b>231389</b>	<b>88.61</b>	
	<b>कुल (सोन परियोजना):-</b>	<b>699200</b>	<b>665723</b>	<b>554045</b>	<b>546101</b>	<b>558995</b>	<b>563131</b>	<b>84.59</b>	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	612000	594730	448590	437912	448715	449681	<b>75.61</b>	
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	203300	230940	179677	135476	136613	152262	65.93	Canals under construction and distribution System for total CCA not developed.
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंम्स कनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	48059	45830	35440	27080	37347	37347	81.49	
	<b>कुल</b>	<b>251359</b>	<b>276770</b>	<b>215117</b>	<b>162556</b>	<b>173960</b>	<b>189609</b>	<b>68.51</b>	
	<b>कुल (कोशी परियोजना):-</b>	<b>815300</b>	<b>825670</b>	<b>628267</b>	<b>573388</b>	<b>585328</b>	<b>601943</b>	<b>72.90</b>	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	602670	487690	370209	362596	373126	373768	<b>76.64</b>	Distribution System for total CCA not developed
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	399000	328780	220187	214244	220635	220637	<b>67.11</b>	
	<b>कुल (गंडक परियोजना):-</b>	<b>1001670</b>	<b>816470</b>	<b>590396</b>	<b>576840</b>	<b>593761</b>	<b>594405</b>	<b>72.80</b>	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	75000	75000	65735	63639	65894	65895	87.86	
	बदुआ जलाशय योजना	45850	45850	36219	36155	35719	35719	77.90	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	191658	141860	102488	96098	104747	104747	73.84	
	<b>कुल (भागलपुर परिक्षेत्र):-</b>	<b>312508</b>	<b>262710</b>	<b>204442</b>	<b>195892</b>	<b>206360</b>	<b>206361</b>	<b>78.55</b>	
	<b>कुल योग</b>	<b>3375634</b>	<b>3011404</b>	<b>2377717</b>	<b>2276459</b>	<b>2356011</b>	<b>2377610</b>	<b>78.95</b>	